(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1491—तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—07—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 34/अपील/1987—88.

.....

1—बेवा चमेलिया पत्नी मैका चमार
2—रघुनाथ चर्मकार
3—जयनाथ
4—शिवलाल चर्मकार
तीनों के पिता मैका चमार
6—रामविश्वास तनय बल्देव चमार
सभी निवासी ग्राम चकदही, तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—जीतराम ब्राहम्ण तनय सरयूराम ब्रा0
निवासी ग्राम चकदही, तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री श्री सी0 एम0 गुप्ता, अभिभाषक अनावेदक—1
श्री आर0 पी0 पालीवाल, अभिभाषक अना0 क—2

———

आदेश

(आज दिनांक 15-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 ग्राम चकदही की भूमि खसरा कमांक 816 रकवा 10 एकड़ का नामांतरण अनावेदक कमांक–1 के नाम नामांतरण दिनांक 22.8.70 को तहसीलदार सिरमौर द्वारा अविवाद प्रकरण के रूप में किया गया था। इससे दुखित होकर आवेदिका के पति मइका तनय बल्देव के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6/82–83 में पारित आदेश दिनांक 8.10.87 को अपील स्वीकार की गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अनावेदक कमांक–1 जीतराम ब्राहम्ण द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 34/अपील/87–88 पर दर्ज कर दिनांक 13.7.06 के द्वारा स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को जिस प्रकार से मातहत द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा जिस आधार पर निरस्त किया गया है वह किसी भी रूप से उचित नहीं है, और न ही वैधानिक है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर के आदेश दिनांक 8.10.87 का अवलोकन किया जावे। जिसमें वादग्रस्त भूमि की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके आदेश की कण्डिका–2 में प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि स्पेशल कास्त के रूप में दिनांक 8.10.56 को आवेदकगण के पूर्वजों को स्पेशल कास्त के रूप में दी गई थी, जो वर्ष खसरा 56–57 से लगायत 60–61 से 62–63 में दजै है। यही स्थिति राजस्व अभिलेख में उपलब्ध खसरा जो मूल न्यायालय में संलग्न है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि कब अविवाद ग्रस्त मानकर नामांतरण कर दिया गया है। जबकि आवेदकगण के पूर्वजों को इसके बदले कौनसी भूमि प्रदाय की गई है, इसका उल्लेख न तो तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी में किया गया है और न ही इसका उल्लेख प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपील न्यायालय में किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि

राजस्व न्यायालय कार्यपालक न्यायालय है जिसे धारा 110 के नियम 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के आधार पर राजस्व अभिलेख सुधार स्वत्व के आधार पर किया जाता है किन्तु इस बात पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और मनमानी तरीके से विधि के प्रतिकूल आदेश देने में कानून भूल की है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि जहां तक समय सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील म्याद के अन्दर व बाहर अपील ग्राहण करने का सवाल है इस वावत अनावेदकगण द्वारा कोई आपत्ति प्रथम अपीलीय न्यायालय में इस बिन्दु पर आक्षेप करने की इजाजत अनावेदक को दिया जाना विधि सम्वत नहीं है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 13.7.06 जो अनावेदक के पक्ष में किया गया है वह हर स्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13.7.06 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के न्यायालय में तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.8.70 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की थी उसके साथ न तो धारा–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन संलग्न किया गया था और न ही कोई कारण दर्शाया गया था, अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा भी अपने आदेश भी कहीं कोई धारा–5 का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार के न्यायालय में सहमति से नामांतरण किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा द्वारा गंभीरता से विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि संबत् नहीं होने के कारण अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश विधि प्रकिया से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 13.7.06 स्थिर रखा जावे एवं आवेदकगण प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.8.70 के

आदेश के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा के यहां दिनांक 20.10.82 लगभग 12 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी थी। उनके यहां प्रस्तुत अपील में न तो विलंब मांफी का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दु पर कोई आदेश पारित किया है जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार जब कोई अपील समयबाधित हो तो सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु पर निराकरण करना चाहिये। 12 वर्ष के बाद किसी भी आराजी पर स्वत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा द्वारा निष्कर्ष निकाले बिना आदेश पारित किया गया था जो विधि विरूद्व आंदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा सही माना गया है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 13.7.06 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 34/अपील/1987–88 में पारित आदेश दिनांक उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर